

**Section 129 : Detention, seizure and release of goods and conveyances in transit**

(1) Notwithstanding anything contained in this Act, where any person transports any goods or stores any goods while they are in transit in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder, all such goods and conveyance used as a means of transport for carrying the said goods and documents relating to such goods and conveyance shall be liable to detention or seizure and after detention or seizure, shall be released,—

<sup>1</sup>[(a) on payment of penalty equal to two hundred per cent. of the tax payable on such goods and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to two per cent. of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods comes forward for payment of such penalty;

(b) on payment of penalty equal to fifty per cent. of the value of the goods or two hundred per cent. of the tax payable on such goods, whichever is higher, and in case of exempted goods, on payment of an amount equal to five per cent. of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods does not come forward for payment of such penalty;]

(c) upon furnishing a security equivalent to the amount payable under clause (a) or clause (b) in such form and manner as may be prescribed:

**Provided** that no such goods or conveyance shall be detained or seized without serving an order of detention or seizure on the person transporting the goods.

(2) <sup>2</sup>[\*\*\*\*]

---

1 Substituted clause (a) & (b) by The Finance Act, 2021 (No. 13 of 2021). It is made effective from 01-01-2022 by Noti. No. 39/2021–Central Tax, dt. 21-12-2021. Earlier to substitution it read as under:

"(a) on payment of the applicable tax and penalty equal to one hundred per cent. of the tax payable on such goods and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to two per cent. of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods comes forward for payment of such tax and penalty;

(b) on payment of the applicable tax and penalty equal to the fifty per cent. of the value of the goods reduced by the tax amount paid thereon and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to five per cent. of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods does not come forward for payment of such tax and penalty;"

2 Sub-section (2) omitted by the Finance Act, 2021 (No. 13 of 2021). It is made effective from 01-01-2022 by Noti. No. 39/2021–Central Tax, dt. 21-12-2021. Earlier to omission it read as under:

"(2) The provisions of sub-section (6) of section 67 shall, *mutatis mutandis*, apply for detention and seizure of goods and conveyances."

**Central Goods & Services Tax Act, 2017**

- <sup>3</sup>[(3) The proper officer detaining or seizing goods or conveyance shall issue a notice within seven days of such detention or seizure, specifying the penalty payable, and thereafter, pass an order within a period of seven days from the date of service of such notice, for payment of penalty under clause (a) or clause (b) of sub-section (1).]
- (4) <sup>4</sup>[No penalty] shall be determined under sub-section (3) without giving the person concerned an opportunity of being heard.
- (5) On payment of amount referred in sub-section (1), all proceedings in respect of the notice specified in sub-section (3) shall be deemed to be concluded.
- <sup>5</sup>[(6) Where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount of penalty under sub-section (1) within fifteen days from the date of receipt of the copy of the order passed under sub-section (3), the goods or conveyance so detained or seized shall be liable to be sold or disposed of otherwise, in such manner and within such time as may be prescribed, to recover the penalty payable under sub-section (3):

**Provided** that the conveyance shall be released on payment by the transporter of penalty under sub-section (3) or one lakh rupees, whichever is less:

**Provided further** that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.]

---

3 Sub-section (3) substituted by the Finance Act, 2021 (No. 13 of 2021). It is made effective from 01-01-2022 by Noti. No. 39/2021–Central Tax, dt. 21-12-2021. Earlier to substitution it read as under:

"(3) The proper officer detaining or seizing goods or conveyances shall issue a notice specifying the tax and penalty payable and thereafter, pass an order for payment of tax and penalty under clause (a) or clause (b) or clause (c)."

4 Substituted for "No tax, interest or penalty" by the Finance Act, 2021 (No. 13 of 2021). It is made effective from 01-01-2022 by Noti. No. 39/2021–Central Tax, dt. 21-12-2021.

5 Sub-section (6) substituted by the Finance Act, 2021 (No. 13 of 2021). It is made effective from 01-01-2022 by Noti. No. 39/2021–Central Tax, dt. 21-12-2021. Earlier to omission it read as under:

"(6) Where the person transporting any goods or the owner of the goods fails to pay the amount of tax and penalty as provided in sub-section (1) within <sup>4</sup>[fourteen days] of such detention or seizure, further proceedings shall be initiated in accordance with the provisions of section 130:

**Provided** that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of seven days may be reduced by the proper officer."

A. Earlier substituted for "seven days" by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 2/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019.

**धारा 129 : माल का निरोध, अभिग्रहण और माल की निर्मुक्त तथा अभिवहन में वाहन**

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में किसी माल का परिवहन या माल का भंडारण करता है जब वे अभिवहन में हो, वहां सभी माल और अभिवहन में उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधनों के रूप में प्रयुक्त साधन और ऐसा माल तथा ऐसे माल और वाहन से संबंधित दस्तावेज निरुद्ध किए जाने या अभिग्रहण के लिए दायी होंगे तथा ऐसे निरोध या अभिग्रहण के पश्चात्—

<sup>1</sup>[(क) ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत् के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत् के बराबर की कोई रकम या पच्चीस हजार रुपए, जो भी कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ख) माल के मूल्य के पचास प्रतिशत् के बराबर शास्ति या ऐसे माल पर संदेय कर का दो सौ प्रतिशत् के संदाय पर, जो भी अधिक हो और छूट प्राप्त माल की दशा में, ऐसे माल के मूल्य के पांच प्रतिशत् के बराबर की कोई रकम या पच्चीस हजार रुपए, जो भी कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है;

(ग) ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाएं, में खंड (क) या खंड (ख) के अधीन संदेय रकम के समतुल्य प्रतिभूति का देने पर निर्मुक्त किया जाएगा :

**परन्तु** ऐसे किसी माल या वाहन का, परिवहन करने वाले व्यक्ति पर निरोध या अभिग्रहण के आदेश की तामील किए बिना निरुद्ध या अभिग्रहण नहीं किया जाएगा।

(2) <sup>2</sup>[.....]

<sup>3</sup>[(3) माल या वाहनों को निरुद्ध या उनका अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी,

1 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा खंड (क) और खंड (ख) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थे :

“(क) ऐसे माल पर लागू कर के और संदेय कर के एक सौ प्रतिशत् के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट-प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के दो प्रतिशत् के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपए जो कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहां माल का मालिक ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ख) लागू कर के और उस पर संदत्त कर की रकम को घटाकर माल के मूल्य के पचास प्रतिशत् के बराबर शास्ति और छूट-प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के दो प्रतिशत् के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपए जो कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहां माल का मालिक ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;”

2 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा उपधारा (2) विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार थी :

“(2) धारा 67 की उपधारा (6) के उपबंध माल और वाहनों के निरुद्ध किए जाने और अभिग्रहण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।”

3 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा उपधारा (3) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।

यथास्थिति, निरोध या अभिग्रहण किए जाने के सात दिन के भीतर संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और तत्पश्चात् उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन शास्ति के संदाय के लिए ऐसी नोटिस की तारीख की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा।]

- (4) संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना उपधारा (3) के अधीन <sup>4</sup>[शास्ति] अवधारित नहीं की जाएगी।
- (5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम के संदाय पर उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट नोटिस की बाबत सभी कार्यवाहियां समाप्त समझी जाएंगी।

<sup>5</sup>[(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति ऐसे माल का स्वामी उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उपधारा (1) में यथाउपबंधित शास्ति की रकम का संदाय करने में असफल रहता है, तो इस प्रकार निरुद्ध या अभिगृहीत माल या वाहन, उपधारा (3) के अधीन शास्ति की वसूली के लिए रीति और ऐसे समय के भीतर, जिसे विहित किया जाए, विक्रय किए जाने या अन्यथा निपटाए जाने का दायी होगा :

**परन्तु** परिवहनकर्ता द्वारा उपधारा (3) के अधीन शास्ति के संदाय पर या एक लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो, का संदाय किए जाने पर वाहन को निर्मुक्त किया जाएगा :

**परन्तु** यह और कि जहां निरुद्ध या अभिगृहीत किया गया माल नष्ट होने वाला या परिसंकटमय प्रकृति का है या समय के साथ उसके मूल्य में ह्रास की संभावना है, वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि समुचित अधिकारी द्वारा, ऐसे समय के लिए जो वह ठीक समझे, कम की जा सकेगी।]

प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थी :

“(3) माल या वाहनों को निरुद्ध या उनका अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी कर और संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और उसके पश्चात् खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन संदेय कर और शास्ति के संदाय के लिए एक आदेश पारित करेगा।”

4 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा “कर, ब्याज या शास्ति” के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।

5 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा उपधारा (6) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।

प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या माल का स्वामी उपधारा (1) में यथा उपबंधित कर और शास्ति की रकम का ऐसी अभिरक्षा या अभिग्रहण <sup>A</sup>[चौदह दिन] के भीतर संदाय करने में असफल रहता है तो धारा 130 के उपबंधों के अनुसार आगे और कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी :

**परन्तु** जहां निरुद्ध या अभिगृहीत माल शीघ्र नष्ट होने वाला या परिसंकटमय प्रकृति का है या समय के साथ उसके मूल्य में ह्रास की संभावना है तो उक्त <sup>A</sup>[चौदह दिन] की अवधि समुचित अधिकारी द्वारा कम की जा सकेगी।

A. सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा “सात दिन” के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।